विशेष वि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 12/2023

उनवान

1. रामलाल पुत्र स्व0 श्योनारायण
2. दुर्गालाल पुत्र स्व० श्योनारायण
3. जगदीश पुत्र स्व० श्योनारायण
4. राजेन्द्र पुत्र स्व० मूलचन्द पुत्र स्व० श्योनारायण
5. मुकेश पुत्र स्व० मूलचन्द पुत्र स्व० श्योनारायण

समस्त जाति कुमावत निवासी धानौता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कस्तुरी पत्नी भोलाराम
2. घीसी पत्नी बंशीधर
3. घापा देवी पत्नी छीतरमल
4. बरजी पत्नि रामचन्द्र
5. विमल पत्नी मोहनलाल
6. सावित्री पत्नी सुगलचन्द
7. गुलाब देवी पत्नी फूलचन्द

समस्त जाति कुमावत निवासी रावपुरा, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

8 गीगराज पुत्र पन्नाराम
9. गोमा पुत्र पन्नाराम
10. फूलचन्द पुत्र पन्नाराम
11. मनोज पुत्र गुलाब
12 रणजीत पुत्र पन्नाराम
13. रतन पुत्र पन्नाराम
14. विजय पुत्र गुलाब

समस्त जाति कुमावत निवासी धानौता, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

15. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

आदेश दिनांक 09/05/24

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा–251 क की उप धारा (1) के तहत पेश किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि आराजी ख0 न0 713/0.14 है0 भूमि वाके ग्राम धानोता तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण सं0 01 लगा0 03 का हिस्सा 1/9 एवं प्रार्थीगण सं0 04 व 05 का हिस्सा 1/81 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण भूमि जोत में पहुच के प्रयोजन के लिए खातेदारान अप्रार्थी सं0 01 लगायत 14 के आराजी ख0 न0 707/0.28 है0, 708/0.14 है0, 709/0.11 है0 भूमि की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है।

यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की जोत शाहपुरा उपखण्ड व ग्राम धानौता रावपुरा धानोता मुख्य सडक के पश्चिमी दिशा में सडक से खसरा नं0–707 लगता है। एकड/बीघा में क्षेत्रफल सहित आवेदक के खसरा नं0–713/0.14 हैक्टर धानौता रावपुरा सडक से पश्चिम दिशा में अवस्थित है जिसके पूर्व दिशा में खसरा नं0–707, 708, 709, अवस्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नं0–707 मुख्य सडक पर अवस्थित है जिसमें खसरा नं0–707 अप्रार्थी सं0–1 लगायत 6 के नाम दर्ज है एवं खसरा नं0–708, 709 अप्रार्थी सं०–7 लगायत 14 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार है जबकि प्रार्थीगण के पास खसरा नं0–713 में पहुँच का कोई भी रास्ता उपलब्ध नही है खसरा नं0–707, 708, 709 के अलावा प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु अन्य रास्ते का कोई विकल्प नहीं है। आराजी खसरा नं0–707, 708, 709 अप्रार्थीगण की खातेदारी में स्थित है जो खसरा नं0–707 का पूर्वी हिस्सा धानौता रावपुरा पर मुख्य सडक लगता है जिसके दक्षिणी सीमा पर 4 मीटर चौडा व अनुमानित 10 फीट पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा खसरा नं0–707 की पश्चिमी सीमा पर अवस्थित खसरा 708 व 709 की दक्षिणी सीमा पर 4 मीटर चौडाई 60 मीटर अनुमानित लम्बाई प्रार्थीगण के खसरा नं0–713 की पूर्वी सीमा तक प्रार्थीगण को आने जाने हेतु नये मार्ग की अति आवश्यकता है तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से चिहिन्त किया जाकर संलग्न किया गया है तथा उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग व भाग है तथा प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को वर्तमान सरकारी दर अदा करने को तैयार है प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खातेदारी को पीला रंग से चिन्हीत किया है। अतः प्रार्थना पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में लाल स्याही से चिन्हित प्रस्तावित नया मार्ग खसरा नं0–707 के दक्षिणी सीमा पर 4 मीटर चौडाई व अनुमानित 10 फीट पूर्व पश्चिम लम्बाई तथा 708, 709 खसरा नम्बर की दक्षिणी सीमा पर 4 मीटर चौडाई व 60 मीटर अनुमानित लम्बाई में खोलने की आज्ञा प्रदान करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर भूमि की किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शा में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई एवं अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से जवाब प्रेषित करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को निर्देशित किया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत उपस्थित। अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

सं0 01 लगा0 06 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाई गयी जो बाद तामिल व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थीगण सं0 07 लगा0 14 की ओर से अधिवक्ता श्री झाबर सिंह यादव उपस्थित । अधिवक्ता झाबर सिंह यादव ने अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 14 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक रीडर/2024/271 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त कि गयी । वकील अप्रार्थी ने मौका रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति पेश की। उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र का वकील प्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। वकील उभयपक्ष ने उक्त प्रार्थना–पत्रों के संबंध में बहस की। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट खिलाफ मौका व विधी विपरित होने से वैकल्पिक रास्ता होने व सदैव से ही खसरा नंबर डामर सड़क से रास्ते के रूप में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते का उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे होने से जो रिपोर्ट गलत मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश की गई है उसको निरस्त फरमाते हुये पुनः वैकल्पिक रास्ता अनुसार मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पास उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता नहीं होने व प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण ने सही रूप से यह आवेदन पत्र 251 (क) आर.टी.ए. पेश किया है जो किसी भी प्रकार से गलत व विधी विपरित तरीके से पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से मय खर्चा खारीज फरमाये जाने योग्य है तथा मौका रिपोर्ट बिल्कुल सही व मौका स्थिति के अनुसार पेश की गई है, जो कानूनन निरस्त नहीं की जा सकती है।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी का मौका देखा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद मनन बहस व अवलोकन उपरांत पत्रावली व तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट से जाहिर होता है कि ग्राम धानोता के आराजी ख0 न0 713/0.14 है में जाने के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुच मार्ग हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट में अप्रार्थीगण के आराजी ख0 न0 707/0.28 है0, 708/0.14 है0, 709/0.11 है0 भूमि में रास्ता प्रस्तावित किया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् आपत्ति मौका रिपोर्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर आ0ख0नं0 707 रकबा 0.28 है0 में से 16 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 0.0064 है0, आ0ख0नं0 708 रकबा 0.14 है0 में से 32.5 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 0.0130 है0, आ0ख0नं0 709 रकबा 0.11 है0 में से 20 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौडाई कुल रकबा 0.0080 है0 भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की वर्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 09/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)